रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 1990/माघ 19, 1911
No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 1990/MAGHA 19, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1990

का. नि. आ. 2(अ).—केन्द्रीय सरकार, नौ सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 18 फरवरी, 1990 से छः मास की और अवधि के लिए का.नि.आ.

21-ई, तारीख 30 अक्तूबर, 1989, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना में सेवा या कर्त्तव्य, उक्त अधिनियम के अर्थ में और उसके प्रयोजनों के लिए सक्रिय सेवा होगी।

[फाईल सं. एम·एफ/एन एल/4438]
पी. राय, संयुक्त सचिव (नौ सेना)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th February, 1990

S.R.O. 2 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby declares that for a further period of two months with effect from 18 Feb 1990 and in continuation of the notification published vide SRO 21-E dated 30 October 1989, Service or duty with the Indian Peace Keeping Force in Sri Lanka shall be active service within the meaning and for the purposes of the said Act.

[File No. MF|NL|4438]
P. RAY, Jt. Secy. (Navy)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990